रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—पखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 1972/वैशाख 1, 1894
No. 123] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 1972/VAISAKHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

21 APR 1972

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1972

G.S.R. 253(E).—In exercise of the powers conferred by clause (x) of section 5, read with sub-section (1) of section 10 and sub-sections (1) and (3) of section 16A of the Calcutta Port Act, 1890 (Bengal Act III of 1890), the Central Government hereby appoints the following persons as Commissioners for the Port of Calcutta, representing labour, for the period upto the 31st March, 1974, namely:—

1. Shri Makhan Chatterjee.
2. Shri Indrajit Gupta.

[F. No. 9-PG(103)/71.]
K. SIVARAJ, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1972

सा०का०नि० 253 (अ).—कलकत्ता पत्तन अधिनियम, 1890 (1890 का बंगाल अधिनियम 3) की धारा 10 की उपधारा (i) और धारा 16क की उपधारा (1) और (3) के

साथ पठित धारा 5 के खण्ड (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के श्रमिकों का 31 मार्च 1974 तक की अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले आयुक्त के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. श्री माखन चटर्जी
2. श्री इन्द्रजीत गुप्ता

[सं० फा० 9—पी० जी० (103)/71]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972